

दिनांक 4.1.2019 को प्रकाशित योजना में आंशिक संशोधन किया गया है। अतः उक्त योजना में निम्नवत् संशोधन पढा जाय –

- 1– योजना के बिन्दु-5 में वोल्वो वाहन, उत्पादन कर्ता की Volvo 9400 B8R 4X2 BSIV Air Conditioned Bus अथवा इससे उच्च बस स्वीकार होंगी। सभी बसों को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण करना होगा। उत्तराखण्ड सरकार के मानकों के अनुसार भारतीय पर्यटक अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने व बस का पंजीयन कराने का दायित्व वाहन स्वामी/फर्म का होगा।
- 2– योजना के बिन्दु-9 में अनुबन्ध की अवधि 06 वर्ष होगी जिसे बाद में अधिकतम एक वर्ष तक, बस की दशा के अनुरूप आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।

योजना के संलग्नक-1 (वोल्वो बसों के संचालन हेतु आवेदन पत्र)

4 C- प्रस्तावित दरें .....

योजना के संलग्नक-2 (Agreement Deed)

बिन्दु संख्या-15. The term of this Agreement would be of 6 years ( ) but the same can be extended by another period of one year by mutual consent of parties. The period of Agreement would start from the date of execution of the Agreement and the date of Agreement will be considered as the date commencement of the agreement.